भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 745

29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आरबीएसके योजना

745. श्री अनुराग शर्मा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) बाल स्वास्थ्य जांच और शीघ्र हस्तक्षेप पर केंद्रित आरबीएसके योजना किस प्रकार बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए कार्य करती है तथा इस संबंध में ग्रामीण और वंचित समुदायों तक पहुंचने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) बच्चों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को किस प्रकार तैयार किया गया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) 32 चयनित स्वास्थ्य स्थितियों - 4 डी अर्थात जन्म के समय दोष, विकास संबंधी देरी, रोग और कमियों की शीघ्र पहचान और प्रबंधन के उद्देश्य के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 0-18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) लागू करता है।

(ख): नवजात शिशुओं की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में मौजूदा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जांच की जाती है और 6 सप्ताह की आयु तक के नवजात शिशुओं के लिए आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर पर समुदाय आधारित नवजात शिशुओं की जांच की जाती है। बच्चों के लिए जांच सेवाएं हर ब्लॉक में तैनात समर्पित

मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। ये टीमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर वर्ष में दो बार 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की जांच करती हैं, जबकि 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों की जांच सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में वर्ष में एक बार की जाती है। बच्चों की जांच आयु के अनुसार संरचित आरबीएसके स्क्रीनिंग टूल और बुनियादी उपकरणों से युक्त अनुकूलित टूलकिट का उपयोग करके की जाती है, जिसमें विजन चार्ट, बीपी उपकरण, वजन मापने वाला स्केल, ऊंचाई मापने वाले स्टेडियोमीटर/इन्फैंटोमीटर, टॉर्च, स्टेथोस्कोप आदि शामिल हैं। आरबीएसके कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए बच्चों की ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में अभियान चलाकर भी जांच की जाती है।

(ग): जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र विलंब से विकास करने वाले बच्चों के अनुवर्ती प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर विकासात्मक रूप से समर्थकारी परिचर्या की पेशकश करके कई तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट/स्पीच थेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट और मनोवैज्ञानिक की सेवाएं डीईआईसी में उपलब्ध हैं।

जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) की स्थापना बच्चों के प्रबंधन के लिए आरबीएसके का एक महत्वपूर्ण घटक है। वे मेडिकल कॉलेजों और सूचीबद्ध निजी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में चयनित स्वास्थ्य स्थितियों के सर्जिकल प्रबंधन सहित नि:शुल्क मध्यम और विशिष्ट परिचर्या के लिए स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के साथ सहबद्धता की सुविधा प्रदान करते हैं।

*****